राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2020–21/9865 भोपाल, दिनांक 28/07/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश

विषय :– प्रदेश में वर्तमान कोविड–19 महामारी काल के दौरान स्तनपान केन्द्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी दिशा–निर्देश।

*****

बच्चों के सर्वांगीण मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु स्तनपान अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह शिशु मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर के प्रकरणो में कमी लाने में सहायक हैं, साथ ही आजीवन सामाजिक व आर्थिक विकास में सुधार हेतु स्तनपान प्रमुख पड़ाव है। यह साक्ष्य आधारित है कि जन्म के एक घंटे के भीतर शीघ्र सुरक्षित स्तनपान कराने व प्रथम छःमाह केवल स्तनपान कराने से नवजात शिशु में आम बाल्यकालीन बीमारियां जैसे दस्त रोग एवं निमोनिया के खतरे में क्रमशः 11% व 15% कमी लाई जा सकती है। **वर्तमान कोविड–19 महामारीकाल में यह और अधिक मायने रखता है जब कोविड–19 की चुनौतियों से स्वास्थ्य एवं पोषण गतिविधियां बाधित हुई हैं, प्रसव उपरांत माँ और शिशु को एक साथ रख, त्वचा से त्वचा के संपर्क एवं सुरक्षित स्तनपान कराने से नवजात में करोना संक्रमण एवं अन्य बिमारियों के जोखिम में काफी हद तक कमी संभव है।**

विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार करोना से संक्रमित/संदिग्ध माँ के दूध के माध्यम से कोरोना संक्रमण के फैलाव की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ऐसी स्थिति में नवजात शिशु को स्तनपान नहीं कराना या रोकने का कोई औचित्य नहीं है। स्तनपान जारी रखने से धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। मौजूदा कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए, जन्म के एक घंटे के भीतर शीघ्र सुरक्षित स्तनपान व प्रथम छःमाह केवल स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर जन जागरूकता एवं व्यापक प्रचार–प्रसार संबंधी निम्न गतिविधियां सुनिश्चित की जायें:–

- **विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजनः– दिनांक 1 से 7 अगस्त, 2020 के दौरान विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन वैश्विक स्तर पर किया जाएगा।**
  - इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का मुख्य Theme–"Support Breastfeeding for a Healthier Planet; Covid-19 is an opportunity to strengthen action on breastfeeding" है।
  - इस थीम के मुख्य उदेश्य माँ और नवजात शिशु के लिए स्तनपान की सुरक्षात्मक भूमिका, पर्यावरण पर डिब्बा बंद दूध के हानिकारक प्रभावों तथा स्तनपान को बढ़ावा देने एवं संरक्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods अधिनियम 2003 के पालन हेतु विभिन्न स्तरों पर समुदायिक जागरूकता लाना है।
  - अतः स्तनपान सप्ताह के आयोजन के संबंध में सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जिला जनसंपर्क अधिकारी से समन्वय कर जिला स्तरीय समाचार पत्रों में स्तनपान सप्ताह के दौरान स्तनपान के लाभ संबंधी प्रचार–प्रसार एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाये।
  - स्तनपान एवं कोविड–19 संक्रमण संबंधी निम्न बिन्दुओं पर आई.ई.सी की जाए–
    - ✓ करोना से जुड़े संचरण से बीमारी के संभावित जोखिमों को दूर करने में सुरक्षित स्तनपान का महत्व।
    - ✓ माँ करोना से संक्रमित/संदिग्ध है तो भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए स्तनपान जारी रखना।
    - ✓ डिब्बा बंद दूध का अनुचित तरीको से उपयोग को प्रोत्साहित करने पर आई.एम.एस एक्ट अधिनियम 2003 अंतर्गत कानूनन कार्यवाही।

- जन्म के एक घंटे के भीतर शीघ्र स्तनपान दर को बढ़ावा देने हेतु, प्रदेश के समस्त प्रसव केन्द्रों में पदस्थ मेडिकल/पैरामेडिकल स्टॉफ का उन्मुखीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएगें।

- <u>संस्थागत गतिविधियां:–</u>
  - जिला स्तरीय आई.एम.ए./आई.ए.पी./फॉग्सी चेप्टर्स/ नर्सिंग होम एसोशिएशन के प्रतिनिधियों के साथ Digital platforms का उपयोग कर वर्चुअल बैठकों का आयोजन कर कोविड–19 संक्रमण काल में स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार की जाये।
  - जिला/ ब्लॉक स्तर पर कार्यरत आर.एम.एन.सी.एच.ए सलाहकारों तथा पोषण प्रशिक्षकों द्वारा प्रसव पूर्व/प्रसवोत्तर एवं शिशु वार्डो में भर्ती माताओं को स्तनपान के लाभ संबंधी **व्यक्तिगत परामर्श** दिया जाए। **परामर्श के दौरान मास्क का प्रयोग एवं सामूहिक दूरी का विशेष रूप से पालन किया जाए।**
  - लेबर रूम के प्रभारी चिंकित्सक, स्टाफ नर्स अथवा मेटरन द्वारा **प्रसव पूर्व जांच कक्षों/एंटीनेटल क्लिनिक्स तथा प्रसव हेतु भर्ती समस्त महिलाओं को शीघ्र स्तनपान, कोरोना संक्रमण से जुड़ी संकाओं का निराकरण व सुरक्षित उपायों का पालन कर स्तनपान जारी रखने हेतु प्रेरित किया जाये।**
  - इस हेतु समस्त प्रसव केन्द्रों की लेबर रूम के प्रभारी चिकित्सक, स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम/एल.एच.व्ही को WHATSAPP ग्रुप के माध्यम से 'स्तनपान एवं कोविड 19' संबंधी सटीक जानकारी का आदान–प्रदान किया जाए।
  - माह फरवरी 2020 में मां' कार्यक्रम अंतर्गत 19 **आकांक्षी** एवं उच्च प्राथमिकता वाले जिले यथा राजगढ़, विदिशा, अलीराजपुर, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मण्डला, अशोकनगर, गुना, श्योपुर के चिन्हांकित 152 High Delivery Load प्रसव केन्द्रों के लिये राज्य स्तर से 'मां' पोस्टर्स मुद्रित कर, प्रति चिन्हित प्रसव केन्द्र हेतु 4 'मां' पोस्टर्स (1.5x2 ft each) एवं "सफल स्तनपान के 10 चरण" शीर्षक 1 पोस्टर (2x3 ft) का वितरण जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, स्टोर तक किये गए हैं। इनका प्रदर्शन प्रसव पूर्व जॉच कक्षों (ANC Clinic), Post Natal ward, आंचल कक्ष, शिशु रोग वार्ड एवं जनरल/बाल ओ.पी.डी. में सुनिश्चित किया जाये।
  - **पोषण प्रशिक्षक द्वारा एन.आर.सी में भर्ती 6 माह से कम उम्र के** गंभीर कुपोषित शिशुओं की माताओं को **स्तनपान पर परामर्श दिया जाए।**

- <u>सामुदायिक स्तरीय गतिविधियां:–</u>
  - आशा, आशा सहयोगिनी की मासिक बैठकों में स्तनपान व शिशु एवं बाल आहार पूर्ति (आई.वाय.सी.एफ) व्यवहारों तथा समुदाय में स्तनपान से जुड़े प्रचलित अंधविश्वास/कुरीतियों पर चर्चा की जाए – सुलभ संदर्भ हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के लिए "स्तनपान एवं कोविड 19" संबंधी बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नौत्तर की प्रति <u>**परिशिष्ट–1**</u> पर संलग्न है।
  - जन समुदाय में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न virtual media जैसे मैदानी महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य अमले के संयुक्त WHATSAPP ग्रुप का उपयोग किया जाए।
  - ए.एन.एम. के साथ व्ही.एच.एन.डी के दौरान नियमित टीकाकरण के लिए आए गर्भवती व धात्री माताओं को स्तनपान के लाभ से अवगत कराया जाये। साथ ही ऐसी महिलाएँ जिन्हे स्तनपान कराने में कठिनाई हुई है, या स्तनपान करने में असमर्थ शिशुओं को मूलभूत उपचार/यथोचित रेफरल किया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु स्तनपान संबंधी समस्याओं पर मूलभूत जानकारी <u>परिशिष्ट–2</u> पर संलग्न है।
  - **शिशु स्वास्थ्य पोषण, एन.एच.एम की वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 में एफ.एम.आर. कोड क्र. 3.1.1.1.2 'ASHA Incentive under MAA Programme" अंतर्गत आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक त्रैमास में 6–8 बैठकों (मासिक 2–3 बैठकों के मान से) का आयोजन किये जाने पर, उसे राशि रूपये 100/– प्रति त्रैमास प्रावधानित है।** <u>वर्तमान कोरोना संक्रमण के परिदृश्य में उपरोक्त गतिविधि हेतु आशा द्वारा एक समय पर अधिकतम 5 गर्भवती व धात्री माताओं को सामूहिक दूरी का पालन करते हुए स्तनपान केन्द्रित परामर्श दिया जाए।</u>
  - आशा द्वारा संपादित उक्त बैठकों की जानकारी मासिक "मॉ" कार्यक्रम रिर्पोटिंग प्रपत्र में पूर्ण ब्लॉक स्तर पर प्रेषित की जाये, जिसे संकलित कर ब्लॉक स्तर से आशा वेब पोर्टल www.asha.nhmmp.gov.in में अद्यतन की जाये। <u>इस गतिविधि के आयोजन एवं रिपोर्टिंग की जवाबदेही बी.सी.एम की होगी।</u>
  - आशा कार्यकर्ता द्वारा नवजात शिशु विशेषकर कम वज़न से जन्में शिशु, SNCU से छुट्टी प्राप्त शिशु, तथा चिन्हित 22 **HBYC** जिलों में नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल पद्धति अंतर्गत नियमित फॉलोअप

गृह भेंट के दौरान शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों पर समझाईश दी जाये। सामुदायिक जागरूकता हेतु स्थानीय भाषा में बनी शिशु एवं बाल आहारपूर्ती संबंधी प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग किया जाये।

- ग्राम के ऐसे प्रभावी gatekeepers यथा महिला की सांस/ दादी को चिन्हित करें जिन्होंने अपने परिवार में अपनी बहू/ बेटी को समूचित स्तनपान व्यवहारों को अपनाने हेतु सहयोग प्रदाय किया हो, इनके द्वारा ग्राम की अन्य गर्भवती/धात्री माताओं व उनके परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए।
- कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट के दौरान मास्क व सानिटाईजर का उपयोग किया जाए,

- **Infant Milk Substitute Act 2003 के प्रावधानों के पालनः–**
  - **Infant Milk Substitute Act 2003** के प्रावधानों के पालन हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिले के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक होने के साथ–साथ नर्सिंग होम एक्ट के भी नियामक अधिकारी है। अतः संलग्न आई.एम.एस एक्ट के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं संलग्न छायाप्रति सभी पंजीकृत निजी नर्सिंग होम को उपलब्ध कराई जाये ताकि **Infant Milk Substitute Act 2003** का उल्लघंन किसी भी शासकीय अथवा गैर शासकीय चिकित्सकीय संस्थानों में न हो।

स्तनपान को प्रोत्साहन दिये जाने से प्रदेश की शिशु एवं बाल मृत्यु दर को प्रभावी रूप से नियंत्रित की जा सकता है। अतः इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दें।

संलग्नः 1. परिशिष्ट 1
2. परिशिष्ट 2
3. **Infant Milk Substitute Act 2003** की छायाप्रति।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2020–21/9866 भोपाल, दिनांक 29/07/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, संचालनालय भोपाल, भध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक मातृ स्वास्थ्य/ शिशु स्वस्थ्य/ आशा, एन.एच.एम भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. राज्य प्रतिनिधी, एन.आई., भोपाल,मध्यप्रदेश।
7. उप संचालक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।
9. समस्त विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश